194

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 1244–दो/2010 – विरूद्ध– आदेश दिनॉक 31 मार्च, 2000 – पारित व्दारा तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर – प्रकरण कमांक 11–चार/आर/324/1994

1– पार्वती वाई पत्नि स्व0शॅकरलाल
2– रोहित पुत्र स्व0शॅकरलाल
3– कु. रिचा पुत्री स्व0शॅकरलाल
4– कु. मधु पुत्री स्व0शॅकरलाल
5– कु. डाली पुत्री स्व0शॅकरलाल
6– कुन्दनलाल पुत्र ग्यारसी
7– कोमलसिंह पुत्र ग्यारसी
8– श्रीमती कमलावाई पुत्री ग्यारसी
9– श्रीमती शॉतिवाई पुत्री ग्यारसी
10– अभिषेख यादव पुत्र शॅकरलाल
सभी ग्राम विलगइया बार्ड बीना
तहसील बीना जिला सागर, मध्यप्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

रघुवीर सिंह पुत्र भैयालाल ठाकुर
ग्राम हींगटी तहसील बीना जिला सागर ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनॉक 18–10–2016 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 11–चार/आर/324/1994 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत

प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय भैयालाल (अनावेदक के पिता) ने तहसीलदार बीना के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190 सहपठित 110 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम हींगरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 204/1 रकबा 5.92 तथा सर्वे कमांक 208/10 रकबा 0.75 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर वह सन् 1050-51 से काविज होकर खेती करता आ रहा है किन्तु शासकीय अभिलेख में यह भूमि ग्यारसीलाल पुत्र प्राणसिंह के नाम दर्ज है जबकि इस भूमि पर उसे सिकमी कास्तकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं इसलिये वादग्रस्त भूमि उसके नाम इन्द्राज की जाय। तहसीलदार बीना ने स्वर्गीय भैयालाल की सुनवाई की एंव भूमिस्वामी ग्यारसीलाल पुत्र प्राणसिंह के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 24-12-1981 पारित किया तथा स्वर्गीय भैयालाल को वादग्रस्त भूमि पर सिकमी कास्तकार के अधिकार उत्पन्न होना मानकर शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष ग्यारसीलाल पुत्र प्राणसिंह ने अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने प्रकरण कमांक 54 अ-46/1982-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-86 पारित करके तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया।

तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर पक्षकारों की सुनवाई की गई तथा प्रकरण कमांक 01 अ-46/1981-82 में आदेश दिनांक 30-5-1992 पारित करके स्वर्गीय भैयालाल का संहिता की धारा 190 का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश

के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बीना के समक्ष अपील कमांक 58 अ-6/1991-92 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी बीना ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27-2-1993 पारित किया तथा अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 694/ अ-6/1992-93 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 31-12-1993 पारित किया तथा अनुविभागीय अधिकारी बीना के आदेश दिनांक 27-2-1993 को यथावत् रखा। इस आदेश के विरूद्ध तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष निगरानी कमांक 11-चार/आर/324/ 1994 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2000 से तहसीलदार बीना का आदेश दिनांक 30-5-1992 , अनुविभागीय अधिकारी बीना का आदेश दिनांक 27-2-1993 तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर का आदेश दिनांक 31-12-1993 निरस्त किये गये तथा तहसीलदार बीना का आदेश दिनांक 24-12-81 स्थिर रखा गया।

तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के निगरानी कमांक 11-चार/आर/324/ 1994 में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2000 के विरूद्ध यह पुनरावलोकन आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी कमांक 11-चार/आर/324/ 1994 में निगरानीकर्ता रघुवीर सिंह पुत्र भैयालाल ने इस तथ्य को छिपा लिया कि अनावेदक ग्यारसी की मृत्यु हो चुकी है और मृतक के वारिसान को सूचना दिये बिना और उन्हें पक्षकार बनाये बिना राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 31 मार्च, 2000 पारित कराया गया है इसलिये पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाय।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये गये तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अलोकन किया गया।

4/ तर्को के दौरान अनावेदक के अभिभाषक ने आपत्ति प्रस्तुत की कि पुनरावलोकन आवेदन बेरूम्याद है जो आदेश दिनांक 31-3-2000 के विरूद्व दिनांक 3-9-10 को प्रस्तुत हुआ है इसलिये पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया जाय। प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि पुनरावलोकन आवेदन के साथ आवेदकगण ने अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है एंव उभय पक्ष को इस आवेदन पर श्रवण कर अंतरिम आदेश दिनांक 9-2-11 से विलम्ब क्षमा किया गया है और अंतरिम आदेश दिनांक 9-2-11 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम हो जाने से अनावदेक के अभिभाषक की आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

5/ पुनरालोकनकर्ता के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब वादग्रस्त भूमि पर संहिता की धारा 190 का दावा लगाया गया, उस समय शासकीय अभिलेख में मूल भूमिस्वामी ग्यारसी अभिलिखित रहा है जिसकी मृत्यु 24-12-1999 को हुई है। ग्यारसी की मृत्यु दिनांक 24-12-1999 को होने के वाद उसकी पत्नि श्रीमती नन्हींवाई एंव उसका पुत्र शॅकरलाल विधिक वारिस हुये। शॅकरलाल दिनॉक 14-5-2000 को मृतक हो चुका है एंव महिला नन्हींवाई भी दिनांक 25-11-11 को मर चुकी है जिसके कारण आवेदकगण मूल भूमिस्वामी ग्यारसी के वैध वारिस है। जब मूल भूमिस्वामी की मृत्यु 24-12-1999 को हुई,निगरानीकर्ता अनावेदक का दायित्व था कि वह समय रहते प्रकरण कमांक 11-चार/आर/324/ 1994 निगरानी में मृतक ग्यारसी के

उत्तराधिकारीगण को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही करता , किन्तु उनके व्दारा जानबूझकर मृतक ग्यारसी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कराया है। अनावेदक के अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में तर्क दिया कि जब तहसील न्यायायालय में पूर्व से ही कार्यवाही चल रही है तथा अपीलीय न्यायालयों में कार्यवाही चल रही है तब मृतक ग्यारसी के परिजनों को इन कार्यवाहियों का ज्ञान था किन्तु वह जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये, इसलिये पुनरावलोकन आवेदन में इसका लाभ नहीं मिलना चाहिये।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा ग्यारसी की मृत्यु दिनांक 24-12-1999 को होने के पुष्टिकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे प्रमाणित है कि मूल भूमिस्वामी ग्यारसी दिनांक 24-12-1999 मरा है जबकि तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 11-चार/आर/324/ 1994 निगरानी में दिनांक 31 मार्च, 2000 को अंतिम आदेश पारित किया है जो मृतक भूमिस्वामी के विरूद्ध एकपक्षीय है स्पष्ट है कि अनावेदक रघुवीर सिंह पुत्र भैयालाल ने जानबूझकर मूल भूमिस्वामी ग्यारसी की मृत्यु के तथ्य को तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल से छिपाते हुये मृतक के विरूद्ध आदेश दिनांक 31-3-2000 पारित कराया है। बलीराम लटूरी सिंह एंव अन्य विरूद्ध प्रेम तोताराम एंव अन्य 1994 M.P.L.J. 993 में माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ व्दारा इस प्रकार व्यवस्था दी है :-

Civil Procedure Code, 1908 , O. 22 RR. 4, 11 ajd O. 47, R. 1 – Decreee passed in favour of deceased sole respondent without bringing legal representatives on record – Such decree is a nullity.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 11-चार/आर/324/ 1994 निगरानी में दिनांक 31 मार्च, 2000 आवेदकगण पर बाध्यकर नहीं है एंव मृतक भूमिस्वामी के विरूद्ध पारित होने से विधि के प्रभाव अकृत एंव शून्यवत् है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 11-चार/आर/324/ 1994 निगरानी में दिनांक 31 मार्च, 2000 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणाम-स्वरूप अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा अपील कमांक 694/ अ-6/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 31-12-1993 एंव अनुविभागीय अधिकारी बीना व्दारा प्रकरण कमांक 58 अ-6/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 27-2-1993 तथा तहसीलदार बीना व्दारा प्रकरण कमांक 01 अ-46/1981-82 में आदेश दिनांक 30-5-1992 स्थिर रहते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर